

असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] No. 172] दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 12, 2012/आश्विन 20, 1934 DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2012/ASVINA 20, 1934

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 163 | N.C.T.D. No. 163

भाग-IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

# सामान्य प्रशासन विभाग

(समन्वय शाखा)

#### अधिसुचना

दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2012

फा. सं. 29/2/2008/सा.प्र.वि./समन्वय/dsgadIII/ 4338-4385.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, समस्त सरकारी कार्यालयों तथा स्थानीय/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दिनांक 1 नवम्बर, 2012, बृहस्पतिवार को अपराहन 2.00 बजे के पश्चात् "फूलवालों की सैर" के उपलक्ष्य में आधे दिन का अवकाश घोषित करते हैं।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अमिताभ कुंडू, उप सचिव (सा.प्र.वि./सम.)

### GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Co-ordination Branch)

#### **NOTIFICATION**

Delhi, the 12th October, 2012

F. No. 29/2/2008/GAD/CN/dsgadIII/4338-4385.— The Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare Thursday, the 1st November, 2012 as a Half Day Holiday after 2.00 P. M. in all Government Offices and Local/Autonomous Bodies, Public Sector Undertakings under the Government of National Capital Territory of Delhi, on account of 'Phool Waalon-Ki-Sair'.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

AMITABH KUNDOO, Dy. Secy. (GAD/CN)

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

#### अधिसुचना

दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2012

फा. सं. 7(433)/नीति-II/बैट/2012/767-777.— मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 70 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 5 सितम्बर, 2012 को जारी अधिसूचना सं. फा. 7(433)/नीति-II/बैट/2012/585-595, जो कि प्रपत्र टी-2 में दी जाने वाली सूचना से संबंधित है, में आंशिक आशोधन करते हुए, निर्देश देता हूँ कि यह अधिसूचना अब दिनांक 25 अक्तूबर, 2012 से प्रभावी होगी।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

#### DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(Policy Branch)

#### **NOTIFICATION**

Delhi, the 12th October, 2012

F. No. 7(433)/Policy-II/VAT/2012/767-777.—
I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (1) read with sub-section (3) of Section 70 of Delhi Value Added Tax, Act, 2004, hereby direct that notification No. F. 7(433)/Policy-II VAT/2012/585-595, dated the 5th September, 2012, regarding submission of information in Form T-2, shall in partial modification to the said notification, come into force with effect from the twenty fifth day of October, 2012.

RAJENDRA KUMAR, Commissioner, VAT

## समाज कल्याण विभाग

# अधिसूचना

दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2012

फा. सं. 82 (265)/ए.डी.-III/अमेंडमेंट पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट/डी.एस.डब्ल्यू/09/13432-42.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 24(अ), के साथ पठित नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को दिल्ली नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन नियमावली, 2012 कहा जा सकेगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. नियम 50 का संशोधन.—दिल्ली नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 2001 (इसके बाद मूल नियमावली के रूप में संदर्भित, के नियम 50 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
  - "नियम 50 आयुक्त की नियुक्ति के लिए योग्यता :— आयुक्त की नियुक्ति के लिए योग्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तें आवश्य पूरी करें, अर्थात्:—
  - 1. उसने 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो।
  - यदि वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत सेवा में है, तो वह पद पर अपनी नियुक्ति से पहले ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति लेगा ।
  - उसके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव अवश्य हो, अर्थात् :—

## I. शैक्षिक योग्यता :-

- (i) **अनिवार्य** :—िकसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।
- (ii) वांछनीय :—समाज कार्य/समाज विज्ञान में मान्य स्नातकोत्तर उपाधि ।
  - II. अनुभव:—विनिर्दिष्ट स्तर पर निम्न प्रकार के एक या अधिक संगठनों में कम से कम 10 वर्ष का समेकित अनुभव होना चाहिए। निःशक्तता से जुड़े विषयों तथा/ अथवा समाज क्षेत्र (समाज कल्याण/स्वास्थ्य/शिक्षा/ निर्धनता उन्मूलन/महिला एवं बाल विकास) से संबंधित केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र
- "50 (क) आयुक्त की नियुक्ति की पद्धित :—
  मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार की अध्यक्षता वाली एक
  चयन समिति आयुक्त का चयन करेगी

## समिति के अन्य सदस्य हैं :--

- प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), दिल्ली सरकार
- 2. प्रधान सचिव (सेवाएं), दिल्ली सरकार
- सचिव, समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार
- 4. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार (समिति के सचिव)''
- 4. नियम 50 (ग) का संशोधन :—मूल नियमावली के नियम 50(ग) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम (2) सिन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थीत् :—

"इसी प्रकार यदि पंजीकृत राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वयं सेवी संगठन के विरष्ठ स्तर के पदाधिकारी पूर्णकालिक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वेतन दिल्ली सरकार के सचिव के वेतनमान में निश्चित किया जा सकेगा (वेतन समूह-4, रु. 37400-67000 जमा रु. 10000 का ग्रेड वेतन)। वेतन और अन्य भत्ते एफ.आर. और एस.आर. के सम्बद्ध उपबंधों के अनुसार नियंत्रित होंगे।"

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, कालिङ तायेङ, विशेष सचिव समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास

# DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE NOTIFICATION

Delhi, the 12th October, 2012

F. No. 82(265)/AD-III/Amendment PWD Act/DSW/09/13432-442—In exercise of the powers conferred by Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996) read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. S.O. 24(E), dated the 5th December, 1997, the Lt. Governor of National Capital

Totory of Delhi, hereby makes the following rules to amend the Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation), Rules, 2001, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Amendment Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of Rule 50.—In the Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2001 (hereinafter referred to as the Principal Rules,) for Rule 50, the following shall be substituted, namely:—
  - "50 Qualification for appointment of Commissioner.— In order to be eligible for the appointment of Commissioner, a person must satisfy the following conditions, namely:—
  - (i) He should not have attained the age of 62 years.
  - (ii) If he is in a service under the Central Government or State Government, he shall seek retirement from such service before his appointment to the post.
  - (iii) He must possess the following educational qualification and experience, namely:—
    - L Educational Qualification
      - (i) Essential: Graduate from a recognized university.
      - (ii) **Desirable:** Recognized Masters degree in Social Work / Sociology.
  - II. Experience: Should have at least 10 years of consolidated experience in one or more of the following types of organizations at specified levels -

In a Group 'A' level post in central/state govt./ public sector undertaking /semi-govt./ autonomous bodies / registered national or international level organizations dealing with disability related matters and/or social sector (Social welfare/health/ education/ poverty alleviation/women and child development).

3. Amendment of Rule 50(A).—In the principal rules, for rule 50(A), the following shall be substituted, namely:—

"50 A Mode of appointment of the Commissioner.—
A Selection Committee headed by the Chief Secretary, Government of NCT of Delhi will select the Commissioner. The other members of the Committee are:—

- (i) Principal Secretary (Health & Family Welfare), Government of NCT of Delhi.
- (ii) Principal Secretary (Services), Government of NCT of Delhi.
- (iii) Secretary, Department of Social Welfare and Women and Child Development.
- (iv) Director, Department of Social Welfare, Government of NCT of Delhi (Secretary to the Committee)"
- 4. Amendment of Rule 50(C).—In the principal rules, in rule 50(C) after sub-rule (2) the following shall be inserted, namely:—

"Similarly, in case senior level functionary of registered national or international level voluntary organization is appointed as full time Commissioner, the pay may be fixed in the scale of Secretary of Government of NCT of Delhi (PB-4: Rs. 37,400-67,000 plus grade pay of Rs.10,000/-)

The salary and other allowances shall be govenmed as per relevant provisions of FR and SR".

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

KALING TAYENG, Spl. Secy. (SW and W & CD)